

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जवासीया की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 231, 232, 233, 234 में मेरा नाम नावालीया शकु पुत्र रामा शंकर माता रामा दर्ज है जिससे मेरा वास्तविक नाम किशन लाल पुत्र राम लाल कषाया लाल चरमाते अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक प्राथी
(1/11/2025)
रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,
निवेदन है कि ग्राम जवासीया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 231, 232, 233, 234 में प्राथी का नाम नावालीया शकु पुत्र रामा शंकर माता रामा दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम शकु उर्फ किशन लाल पुत्र रामलाल है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि

पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्राथी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी दासीया व भू.अ.नि. वसुदेव एवं प्राथी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम जवासीया की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की खाता संख्या 231, 232, 233, 234 में प्राथी का नाम नावालीया शकु पुत्र रामा शंकर माता रामा के बजाय शकु उर्फ किशन लाल पुत्र रामलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

क्र. LR/1646/16-12-2025

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम जवासीया जमाबन्दी संवत् 2073-76 खाता संख्या 231-234 में दर्ज प्राथी का नाम शकु पुत्र रामा के स्थान पर शकु उर्फ किशन लाल पुत्र रामलाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

21/11/25
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भोतवाड़ा